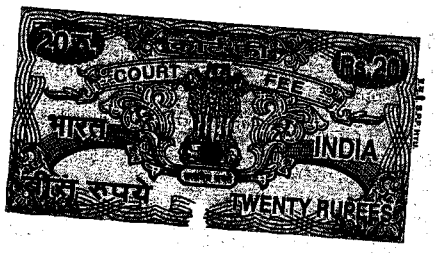

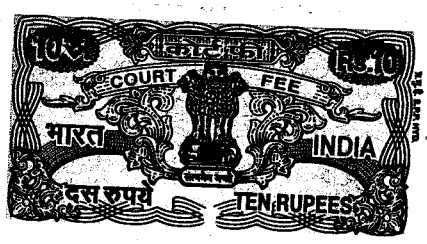

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–भिण्ड

ओमप्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ ब्राह्मण,
निवासी– ग्राम झांकरी, परगना गोहद,
जिला–भिण्ड (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

पुरूषोत्तम सिंह पुत्र अमर सिंह गुर्जर,
निवासी– ग्राम इटायंदा, परगना गोहद,
जिला–भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 34 /2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक.....3215/एक/2015 निगरानी जिला.....भिण्ड.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही विवरण	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

20-10-15

आवेदक की ओर से शीध्र सुनवाई का आवेदन दिया गया तथा तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय मे अपील कमांक 34/2012-13 प्रचलित है , इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी गोहद से न्याय न मिलने की आशॅका जताते हुये अनावेदक ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष संहिता की धारा 30 का आवेदन देकर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरण की प्रार्थना की, जिसमें कलेक्टर भिण्ड ने अंतरिम आदेश दिनांक 1.4.13 से अन्य आदेश होने तक यथास्थिति बनाये रखना आदेशित किया। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 4126एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 6-2-14 से इस निर्देश के साथ प्रकरण लौटाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद 30 दिन के भीतर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें । जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण वापिस पहुंचा एंव सुनवाई में प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हुआ तो प्रकरण को लटकाये रखने के उद्वेश्य से आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत कर प्रकरण में अनावेदक को न्याय न मिले, टालमटूल की जा रही है इसलिये प्रकरण में शीध्र सुनवाई की जाकर निराकरण किया जावे। आवेदक के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाये जाने के वाद सुनवाई की प्रार्थना की।

2/ शीध्र सुनवाई के आवेदन पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा प्रकरण में आये तथ्यों पर विचार किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि जब प्रशासकीय सदस्य , राजस्व

मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 412/एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 6–2–14 में आदेश दिये गये है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद उनके न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 34/2012–13 का निराकरण आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर कर दें एंव अनुविभागीय अधिकारी ने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये तिथि नियत की है, किन्तु आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष न रखते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 14.9.15 निगरानी में अंकित करके उसके विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी, पेशी 14–9–15 को अंतिम तर्क हेतु उभय पक्ष को समय दिया गया है तथा प्रकरण पुनश्च में लेकर स्थगन की कापी पेश करना एंव पुरूषोत्तम को वादग्रस्त भूमि पर अंतरण से रोक लगाई है अंकित किया है।

4/ जहां तक अनावेदक व्दारा शीध्र सुनवाई एंव न्याय दिलाये जाने की मांग का प्रश्न है – प्रशासकीय सदस्य , राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 412/एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 6–2–14 के पालन हेतु अनुविभागीय अधिकारी गोहद बाध्य हैं एंव उन्हें आदेश दिनांक 6–2–14 की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर निर्णय करना अनिवार्य है। तद्नुसार राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 6–2–14 Rsejudicata (प्राड.न्याय) का रूप लिये है जिसके कारण निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद को निर्देश दिये जाते हैं वह अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर कर देवें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर